निर्णय वइजलास श्री रामावतार मीना आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 53/2019 दावा
दायरा दिनांक :–31.05.2019
निर्णय दिनांक :– 24.6.19

उनवान

1. नन्दकुमार पुत्र नारायण जाति माली निवासी घाघोनिया तहसील छीपाबडौद जिला बारां

बनाम

राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबडौद जिला बारां

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट एवं
धारा 111,128 एल,आर,एक्ट
निर्णय दिनांक :– 24.6.19

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री ललित कुमार शर्मा

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट एवं धारा 111,128 एल आर एक्ट विरूद्व प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी ख0नं0 12 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा, ख0 नं0 13 रकबा 4.14 बीघा, ख0 नं0 14 रकबा 18 बिस्वा, ख0 नं0 198 रकबा 2.06 बीघा, ख0 नं0 300/94 रकबा 01 बिस्वा मौजा घाघोनिया में स्थित हैं जो वादी के खातेदारी में दर्ज हैं एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त वर्णित आराजीयात में से ख0नं0 12 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा, ख0 नं0 13 रकबा 4.14 बीघा, ख0 नं0 14 रकबा 18 बिस्वा, की सीमा व मेड के संबन्ध में पडौसी काश्तकारों से हमेशा विवाद बना रहता है तथा पडौसी काश्तकार वादी के खाते व कब्जे की भूमि की मेडे तोडने के लिए प्रयासरत रहते है इसलिए वादी उक्त विवाद को हमेशा के लिए खत्म करवाना चाहता है। दिनांक 24.05.2019 को उक्त वर्णित आराजियात के आसपास के व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तो वादी ने मना किया तो उन्होने आयन्दा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी। वादी ने दिनांक 24.05.2019 को उक्त आराजियात की सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार छीपाबडौद से निवेदन किया तो उन्होने सीमाज्ञान करने से मना कर दिया वाद कारण प्रथम वार दिनांक 24.05.2019 को उक्त वर्णित आराजीयात पर पडौसी काश्तकारों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास करने पर तथा उसी दिन वादी द्वारा प्रतिवादी से विवादित आराजी का सीमाज्ञान करने से मना करने पर उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलव किया गया। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम घाघोनिया सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 35, नकल नक्शा ट्रेस पेश किया गया। वादी का कथन है कि विवादित आराजी वादी के खातेदारी की हैं। पडौसी खातेदारान जबरन मेड तोडकर कब्जा करने का प्रयास करते है। इसलिए आपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी का

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

सीमाज्ञान करवा पत्थरगढी करवाना चाहता है। जिससे पडौसी काश्तकारों से किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नही हो सके।

वकील वादी को सुना गया पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम घाघोनिया सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 35, वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज है। वादी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी का सीमाज्ञान करा कर पत्थरगढी करवाना चाहता है जिससे पडौसी काश्तकार व खातेदारो से किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम घाघोनिया तहसील छीपाबडौद के ख0नं0 12 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा, ख0 नं0 13 रकबा 4.14 बीघा, ख0 नं0 14 रकबा 18 बिस्वा का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार छीपाबडौद दिये जाते है। तद्नुरूप डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रामावतार मीना)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकार छीपाबड़ौद

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 53/2019	धारा अन्तर्गत 89 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक 26.6.19
समक्ष : श्री रामावतार मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां		
उपस्थिति : अभिभाषक वादी – श्री ललित कुमार		अभिभाषक प्रतिवादी –

वाद शीर्षक

उनवान

1. नन्दकुमार पुत्र नारायण जाति माली निवासी घाघोनिया तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

बनाम

राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम घाघोनिया तहसील छीपाबड़ौद के ख0नं0 12 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा, ख0 नं0 13 रकबा 4.14 बीघा, ख0 नं0 14 रकबा 18 बिस्वा का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी कराने के आदेश तहसीलदार छीपाबड़ौद दिये जाते है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 26.6.19 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी,
छीपाबड़ौद जिला बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज ( )		
10.	योग		

Scanned by CamScanner